न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–332/2015 (2015/00323)223/केकड़ी

1. **प्रहलाद दास पुत्र बालदास जाति साधू निवासी जूनियॉ तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।**

अपीलांट

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर।**

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015, वाद संख्या 201/2012 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी।

उपस्थितः–

3. श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
4. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 01की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 31.10.2018

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी,केकड़ी के वाद संख्या 201/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जूनिया तहसील केकड़ी साबिक खसरा नम्बर 1488 के आधार खसरा नम्बर 3673 रकबा 0.49 हैक्टर, 3673/6013 रकबा 0.17 हैक्टर कायम किये गये। उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 1488 में से 3 बीघा भूमि दिनांक 25.12.1995 को आवंटन सलाहकार समति द्वारा वादी के पिता श्री बालदास को आवंटन की जाकर कब्जा व दखल प्रदान किया गया बाबत् पेश कर कथन किया श्री बालदास तत्पश्चात वादी/अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वरवक्त आवंटन, आदेश की पृष्ट भाग पर नक्श बनाया गया जिसमें कोई चिन्ह अंकित नहीं है लेकिन माजूदा खसरा नम्बर 3673 के नक्शें में भिन्नता कर दी गई व नक्शं के दक्षिणी पश्चिमी कोण पर डोट के निशान लगाकर नक्शें को अलग करने पर उतारू हो रहे है। जबकि मौके पर अपीलांट का पूर्व की भांति 0.49 हैक्टर पर कब्जा काश्त हैं। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का पुश्तैनी कब्जा काश्त होने से आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी द्वारा विचाराधीन था उसी दौराने ग्राम जूनिया में लोक अदालत आयोजित की गई जिसमें उक्त पत्रावली दिनांक 29.06.2015 को आदेश 14, 18 एवं 20 जा.दी. के प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित करते हुए वाद को दिनांक 29.06.2015 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29. 06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्टस की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट के पिता बालकदास को दिनांक 25.12. 21975 को आवंटन की जाकर कब्जा प्रदान किया गया तथा आवंटन दिनांक से आज तक मौके पर वादी के पूर्वजों के समय से अर्सा करीब 40 वर्षो से अपीलांट निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं एवं उक्त भूमि पर वादी कृषि कार्य कर अपने व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता आ रहा हैं अपीलांट भूमिहीन कृषक हैं, जिसके परिवार का जीविकोपार्जन कृषि व कृषि मजदूरी पर आधारित हैं। पूर्व नक्शें की भांति नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायाचित है। चॅकि खसरा नम्बर 1488 के शेष भाग के नये नम्बर 3673/6013 दर्शाते हुए नाड़ी शब्द को गलत अंकित कर दिया गया है क्योंकि भूमि बारानी हैं अतः नाड़ी शब्द विलोपित किया जाना न्यायोचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद कायमी तनकीयात एवं साक्ष्य वादी में नियत था लेकिन आदेश 14, 18 एवं 20 जा.दी. के प्रावधानों की पालना होने से पूर्व ही पत्रावली कैम्प कोर्ट जूनिया में ले जाई गई एवं वाद पत्र को निरस्त फरमा दिया गया, जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधानों के विपरीत होकर काबिल निरस्त योग्य हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 29.06.2015 निरस्त फरमा जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें कि वे वाद में कायमी तनकीयात, साक्ष्य ग्रहण की जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी राजस्व रेकाउ में सरकारी भूमि दर्ज हैं तथा सावर्जनिक प्रयोजनार्थ की हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नायब तहसीलदार, कादेड़ा का जवाब मे विवादित आराजी खसरा नबर 3673/6013 रकबा 0.178 हैक्टर जमाबंदी सम्वत 2065-2068 के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे गैर मुमकिन पाड़ी किस्म दर्ज है, जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होने के कारण एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् खातेदारी नहीं दी जाती है का कथन किया हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांट को वाद में सुनवाई का समुचित अवसर व साक्ष्य प्रदान किया हैं इस प्रकार उपरोक्त भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् खातेदारी योग्य नहीं होने के कारण वाद का विधि सम्मत खारिज किया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं और अपील निरस्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2015 यथावत् रखा जाता हैं।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर